न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 44/2021/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी कोर्ट कैंप
दायरा दिनांक: 08.01.2021
अन्तर्गत धारा: 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

श्रवण आत्मज दुर्गालाल जाति माली निवासी ग्राम धोवड़ा तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, दबलाना, जिला बून्दी

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री शंभुदयाल शर्मा, अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 16.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 32/अपील/2016 बउनवान श्रवणलाल बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा प्रकरण संख्या 693/2015 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 22.01.2016 से अपीलार्थी को वाके ग्राम रामनिवास की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2072 में खसरा संख्या 935 की 10 बीघा भूमि पर फसल गन्ना, मक्का, सूड़ काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा एवं 1000/– रूपये शास्ति से दण्डित किये जाने के विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी के यहां पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 28.02.2017 से खारिज की गई। उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायलय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तुस्थिति एवं विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी गरीब किसान है, जिसके पास आबादी भूमि में कोई मकान नहीं है। अपीलार्थी उक्त भूमि पर मकान बनाकर अपने परिवार सहित निवास कर रहा है, जो अपने पिता के जीवनकाल से गत 60–70 वर्षों से उक्त भूमि पर निवासरत हैं। अपीलार्थी का केवल पशुओं के बांधने का बाड़ा व रहने का मकान बना हुआ हैं। इसके अलावा अपीलार्थी ने किसी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दबलाना ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

कलक्टर, बून्दी ने भी उक्त तथ्य को आधार नहीं बनाया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपील विषयक भूमि पर कभी फसल काश्त नहीं की है, हल्का पटवारी ने भौतिक रूप से कब्जे की जांच नहीं की हैं। अपीलार्थी के पश्चात्वर्ती माने जाने का कोई आधार पत्रावली में उपलब्ध नहीं था। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अपास्त किये जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दबलाना ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी ने भी उक्त तथ्य को आधार नहीं बनाया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपील विषयक भूमि पर कभी फसल काश्त नहीं की है, हल्का पटवारी ने भौतिक रूप से कब्जे की जांच नहीं की हैं। अपीलार्थी के पश्चात्वर्ती माने जाने का कोई आधार पत्रावली में उपलब्ध नहीं था। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRD 1993 Page No. 362, RRD 1993 Page No. 465** पेश किये।

4 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय उचित होना जाहिर किया गया।

5 प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन कर बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा प्रकरण संख्या 693/2015 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 22.01.2016 से अपीलार्थी को वाके ग्राम रामनिवास की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2072 में खसरा संख्या 935 की 10 बीघा भूमि पर फसल गन्ना, मक्का, सूड़ काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा एवं 1000/– रूपये शास्ति से दण्डित किये जाने के विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी के यहां पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 28.02.2017 से खारिज की गई। न्यायालय हाजा में अपीलार्थी का तर्क है कि न्यायालय नायब तहसीलदार दबलाना ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी ने भी उक्त तथ्य को आधार नहीं बनाया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपील विषयक भूमि पर कभी फसल काश्त नहीं की है, हल्का पटवारी ने भौतिक रूप से कब्जे की जांच नहीं की हैं। अपीलार्थी के पश्चात्वर्ती माने जाने का कोई आधार पत्रावली में उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी के मौके पर सिर्फ मकान बना होना वर्णित किया गया है तथा पटवारी हल्का के भौतिक रूप से मौके की जांच नहीं किया जाना वर्णित करते हुए कथन किया कि उक्त आराजी पर अपीलार्थी का कोई कब्जा नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा निर्णय दिनांक 22.01.2016 को पारित किया गया है, जिसे 9 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी का निर्णय दिनांक 28.02.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण न्यायालय नायब तहसीलदार, दबलाना को इन निर्देशों के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि "ग्राम रामनिवास की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2072

में खसरा संख्या 935 की 10 बीघा भूमि'' पर से अपीलार्थी द्वारा कब्जा हटा लिया हो तथा भविष्य में कभी कब्जा नहीं करने बाबत् अपीलार्थी परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार दबलाना में शपथ–पत्र पेश कर दे तथा मौके पर उक्त अतिक्रमित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा नहीं होने की पुष्टि नायब तहसीलदार, दबलाना स्वयं अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक से करवाये जिसमें यह साबित हो जाए कि अपीलार्थी/अतिक्रमी द्वारा कब्जा छोड़ दिया है तो 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश जुर्माना आदि यथावत रहेगा। यदि मौके पर अपीलार्थी का कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड यथावत रहेगा।

6 निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा